

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल: rmhc.supply2@gmail.com
Website: www.rmhc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/सप्लाई/2023 3392 दिनांक : 29/9/2023


कार्यालय आदेश

M/s Cian Health Care Pvt. Ltd, 1st and 2nd Floor, Premdeep Building, Above Latur Urban Co-Op Bank Ltd., Lulla Nagar Chowk, Camp Kondhwa Road, Pune-411040 (Maharashtra), India को निम्न औषधियों हेतु क्रयादेश जारी किये गये थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	औषधि का नाम	निविदा क्रमांक	क्रयादेश क्रमांक/दिनांक	आदेशित मात्रा	आपूर्ति मात्रा	फर्म को दिये गये नोटिस का विवरण
1	Clarithromycin 250mg Tab IP [NRD-580] (60 days)	10/2022-23	7029/09.03.2023 3989/13.10.2022	46500 10000	0 0	पत्रांक 1355 दिनांक 06.06.2023
2	Clarithromycin 500mg Tab IP [NRD-581] (60 days)	10/2022-23	7030/09.03.2023 4007/13.10.2022	140400 106500	0 0	पत्रांक 1355 दिनांक 06.06.2023

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधियों के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं करने पर उक्तानुसार नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 18.08.2023 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से दो क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधियों की कोई मात्रा आपूर्ति नहीं की गई है, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 18.08.2023 (प्राप्ति पत्र दिनांक 11.09.2023) की अनुशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(15) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Cian Health Care Pvt. Ltd, 1st and 2nd Floor, Premdeep Building, Above Latur Urban Co-Op Bank Ltd., Lulla Nagar Chowk, Camp Kondhwa Road, Pune-411040 (Maharashtra), India को औषधि Clarithromycin 250mg Tab IP [NRD-580] एवं Clarithromycin 500mg Tab IP [NRD-581] हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से एक वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।


(अनुपमा जोरवाल)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/सप्लाई/2023 3392 दिनांक : 29/9/2023
निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/महाराष्ट्र।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Cian Health Care Pvt. Ltd, 1st and 2nd Floor, Premdeep Building, Above Latur Urban Co-Op Bank Ltd., Lulla Nagar Chowk, Camp Kondhwa Road, Pune-411040 (Maharashtra), India
13. गार्ड फाईल।


विशेषाधिकारी
आर.एम.एस.सी.